उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या- 20/2017/1635/अडतीस-7-2017-134/2015टीसी

लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक मद में धनराशि की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश संख्या-18/2017/1512/38-7-2017-134/2015टीसी दिनांक 28-09-2017 के प्रथम प्रस्तर के पंक्ति-5 में उल्लिखित 03 क्लस्टर्स मिधाकुर, श्रीनगर एवं राजपुर के स्थान पर मिधाकुर(जनपद आगरा), श्रीनगर(जनपद महोबा) तथा रायपुर(बहराइच) पढा जाय।

2- केवल उक्त सीमा तक उक्त संदर्भित शासनादेश संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

संख्या- 20/2017/1635(1)/अड्तीस-7-2017 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक(स्किल्स), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार(रूर्बन डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. विशेष कार्याधिकारी,ग्राम्य विकास विभाग।
5. अपर आयुक्त (वित्त/मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, आगरा, चित्रकूट मण्डल एवं देवीपाटल मण्डल उत्तर प्रदेश।
8. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा, महोबा एवं बहराइच, उ0प्र0।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
11. राज्य योजना आयोग-1/2
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।